राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम, जिला राजसमंद

प्रकरण संख्या – 264/2024 राजस्व प्रा0 पत्र

अनवान

भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति रावत आयु 45 वर्ष निवासी बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बग्गड़ पंचायत समिति भीम जिला राजसमंद राजस्थान।
2. दिनेश सिंह पुत्र मूल सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमंद।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री हितेष कुमार मेहता
2. अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

दिनांकः– 05.06.2025

प्रार्थी भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह रावत जाति रावत निवासी बग्गड़ ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मेरी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम बग्गड़ पटवार हल्का बग्गड़ तहसील भीम जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 3933/3002 रकबा 0.8094 किस्म बारानी 01 आई हुई है जिस पर आने जाने के लिए रास्ता जो ग्राम पंचायत बग्गड़ की खातेदरी भूमि आराजी नम्बर 4096/3763 किस्म गैर मुमकिन बंजड़ में से होकर गुजरता है जिस पर मैं व अप्रार्थी संख्या 02 अपनी भूमि पर आते–जाते है एवं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। इस रास्ते के अतिरिक्त हमारी कृषि भूमि पर कृषि हेतु अन्य कामों से आने जाने के लिए अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। एकमात्र रास्ता जो लम्बे समय से उपयोग उपभोग में आता है जिससे अपने मवेशी, कृषि काम हेतु ट्रेक्टर, घास फूस लाने ले जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत बग्गड़ के अधीनस्थ सरपंच एवं गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त रास्ते को रोककर कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिससे वर्षों से चल रहे रास्ते से हमारा आवागमन प्रभावित हुआ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 3933/3002 रकबा 0.8094 किस्म बारानी 01 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 4096/3763 किस्म गैर मुमकिन बंजड़ में से 40 फिट का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। जिसके बदले नियमानुसार प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान करने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने पदवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि नियमानुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो ग्राम पंचायत बग्गड़ को कोई

Signature valid
Digitally signed by Dooda Ram
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2025.06.05 1?:53:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15739097

आपत्ति नहीं है नियमानुसार आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझे भी रास्ते की आवश्यकता है। दावा प्रस्तुति के समय मैं बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता हूं अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

हमने तहसीलदार भीम को प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संदर्भ में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया जिस पर तहसीलदार भीम के पत्रांक भू.अ./2025/2418 दिनांक 04.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार ग्राम बग्गड़ के आराजी नम्बर 4096/3763 किस्म गैर मुमकिन बंजड़ में से 25 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित है। यह खसरा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत बग्गड़ के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है इस भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करने हेतु सहमत है उक्त रास्ता दर्ज किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 3933/3002 में पहुंच के लिए आराजी नम्बर 4096/3763 में से 25X290 = 0.0689 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहेगी जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है। तहसीलदार भीम द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, जमाबंदी की प्रति, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण के जवाब व सुसंगत न्यायिक उद्वरणों, साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। इससे संबंधित कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया। प्रार्थी व वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्तें में अप्रार्थीगणों द्वारा अनापत्ति जाहिर कर प्रार्थी को नियमानुसार प्रतिकर राशि के साथ रास्ता दिये जाने हेतु लिखित सहमति न्यायालय में पेश की। उपरोक्त अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 3933/3002 रकबा 0.8094 किस्म बारानी 01 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 4096/3002 किस्म गैर मुमकिन बजड़ में से तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 3933/3002 रकबा 0.8094 किस्म बारानी 01 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 4096/3763 किस्म गैर मुमकिन बजड़ भूमि में से 25 फिट चौड़ा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते के रूप में उपयोग की गई भूमि के बदले डीएलसी की दुगुनी प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या 01 को तहसीलदार भीम के माध्यम से भुगतान करें। तहसीलदार भीम प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई प्रतिकर राशि को अप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान कर संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार लाल स्याही से अंकित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर रास्ता खुलवाया जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करावे। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार भीम आवश्यकता अनुसार पुलिस जाब्ता थानाधिकारी पुलिस थाना देवगढ़ से प्राप्त करें। थानाधिकारी पुलिस थाना देवगढ़ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। तहसीलदार भीम को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम

Signature valid
Digitally signed by Dooja Ram
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2025.06.05 1?:53:25 IST
Reason: Approved